नम्बर व ता… अहकाम जो… हुक्म की ताम… में जारी हु…

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-1-20	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/…/अभियुक्त~~/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित~~ है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है/~~अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से समय समाप्त हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-1-2020 को पेश हो। रीडर	
20-1-20	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/पार्टी/अभियुक्त~~/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है/~~अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से समय समाप्त हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-2-2020 को पेश हो। रीडर	
	3-2-20 वकील उभयपक्ष उप॰ [illegible] पत्रावली दि॰ 24-2-20 को पेश हो।	
	24-2-2020 वकील उभयपक्ष उप॰। बहस सुनीगई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि॰ 16-3-2020 को पेश हो।	
	16-3-2020 वकील उभयपक्ष उप॰। दर॰ 251(A) R.T.Act. खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
234/2017	1.7.2017	16-3-2020

1. जमनालाल पुत्र रामचंद, कोली निवासी बाढ कोटरी तह0 गंगापुर सिटी
2. भोला पुत्र रामचंद, कोली निवासी बाढ कोटरी तह0 गंगापुर सिटी
3. स्वरूप पुत्र रामचंद, कोली निवासी बाढ कोटरी तह0 गंगापुर सिटी
4. बाबू पुत्र रामचंद, कोली निवासी बाढ कोटरी तह0 गंगापुर सिटी
5. छोट्या पुत्र रामचंद, कोली निवासी बाढ कोटरी तह0 गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र फूलचंद, महाजन निवासी तलावडा तह0 गंगापुर सिटी
2. रूपचंद पुत्र फूलचंद, महाजन निवासी तलावडा तह0 गंगापुर सिटी
3. प्रेमचंद पुत्र फूलचंद, महाजन निवासी तलावडा तह0 गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर उप तहसील तलावडा
6. ग्राम पंचायत तलावडा जरिए सरपंच

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री जुगलकिशोर गर्ग, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री भानू कुमार सिंघल, एडवोकेट, अप्रार्थी सं0 1,2,3 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 12 रकबा 22 एयर, ख0न0 13 रकबा 2.35 है0, ख0न0 36 रकबा 46 एयर, ख0न0 38 रकबा 51 एयर, ख0न0 45 रकबा 6 एयर, ख0न0 46 रकबा 34 एयर, ख0न0 47 रकबा 29 एयर, ख0न0 78 रकबा 5 एयर ग्राम बाढ कोटडी मे स्थित है। इस भूमि मे जाने के लिए कोई रास्ता नही है। ग्राम तलावडा मे भूमि ख0न0 298 रकबा 85 एयर, ख0न0 1765/297 रकबा 66 एयर मे तहसील कार्यालय बना हुआ है। इस तहसील के दक्षिण मे आम सडक बनी हुई है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम बाढ कोटडी मे है जबकि प्रार्थीगण की भूमि के पास ही भूमि मे मिली हुई सीमा ग्राम तलावडा की है। प्रार्थीगण अपनी भूमि मे ग्राम तलावडा की भूमि ख0न0 291 गैरमुमकिन नाला, ख0न0 290 चारागाह, ख0न0 294 ग्राम पंचायत की भूमि, ख0न0 299 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी की भूमि मे होकर तहसील कार्यालय ख0न0 298 मे होकर ग्राम तलावडा की मुख्य सडक पर आते है। यह मार्ग प्रार्थीगण की भूमि मे आवागमन के लिए मुख्य सडक से सबसे छोटा रास्ता है। प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग कर रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे रास्त नही होने के कारण प्रार्थीगण को परेशानी है। इसे रास्ता दर्ज कराने हेतु प्रार्थीगण भूमि की सरकारी कीमत अदा करने कोतैयार

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि मे आवागमन, कृषि यंत्र उपज लाने ले जाने हेतु ख0न0 291 ग्राम बाढ कोटरी व ख0न0 290, 294, 299, 1765/297 एवं 298 मे होकर आम सडक तक 20 फिट चौडा रास्ता दिया जाकर इस भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड व ट्रेस मे गैरमुमकिन रास्ते के रूप मे किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 5, 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थीगण की भूमि के पास ही दरख्वास्त देहान्दागण की अन्य भूमि ख0न0 14, 27 से 36 व अन्य आराजियात स्थित है जिसका इन्होने जानबूझकर वर्णन नहीं किया है। प्रार्थीगण को उनकी भूमि पर जाने हेतु भूमि के दक्षिण की ओर से रास्ता मौके पर बना हुआ है जो नक्शा ट्रेस में भी दर्शित है। उसी रास्ते में होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में हमेशा से आते जाते रहे हैं एवं वर्तमान में भी आवाजाही कर रहे हैं। अप्रार्थीगण की भूमि में होकर मौके पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि वे जिस भूमि में होकर रास्ता चाह रहे हैं वह सबसे छोटा रास्ता है जबकि उनकी भूमि पर आने जाने हेतु पहले से दक्षिण में होकर रास्ता बना हुआ है जो मौके पर मौजूद है। इस तरह प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने ग्राम बाढकोटडी की नकल जमाबंदी सं0 2073–76 खाता प्रार्थीगण, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बाढकोटडी, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम तलावडा, नकल जमाबंदी ग्राम तलावडा सं0 2070–73 खाता चरागाह भूमि, खाता ग्राम पंचायत भूमि, खाता अप्रार्थी नं0 1 ता 3, खाता उप तहसील तलावडा भूमि प्रस्तुत किए हैं।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/18/2185 दिनांक 28.5.2018 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए भूमि ख0न0 290, 294, 299, 1765/297, 298 मे होकर रास्ता दिया जावे क्योकि प्रार्थीगण इन नम्बरो मे होकर पूर्व से ही आवागमन करते रहे है एवं प्रार्थीगण को उनके खेतो पर पहुचने के लिए यह सबसे छोटा रास्ता है। इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार भूमि की कीमत भी जमा कराने को तैयार है।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण जिस भूमि मे होकर रास्ता चाहते है मौके पर उनमे होकर कोई रास्ता नही

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

है। चाहे गये रास्ते की दूरी 500 मीटर बनती है। प्रार्थीगण के ख0न0 13 से लगते हुए ख0न0 24 सिवायचक, ख0न0 18 सिवायचक व खातेदार जगनी पत्नी गंगासहाय के ख0न0 17, ख0न0 238, खातेदार शिवलाल वगैरा के ख0न0 237 मे होकर आम सडक तक दूरी 410 मीटर बनती है जो चाहे गये रास्ते से कम पडती है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे खसरा नम्बरो मे कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण के खेतो तक जाने के लिए ख0न0 237, 238, 17, 18 एवं 24 मे होकर जाने पर रास्ते की दूरी प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से कम पडती है। प्रार्थीगण ने ख0न0 290 चारागाह भूमि, ख0न0 291 चारागाह भूमि, ख0न0 294 पंचायत भूमि, ख0न0 1765/297 उपतहसील तलावडा भूमि मे होकर तथा ख0न0 299 अप्रार्थीगण की भूमि मे होकर रास्ता चाहा है। इनमे से ख0न0 290, 291, 294, 1765/297 सरकारी भूमि होने के कारण यह न्यायालय इनमे होकर रास्ता देने का आदेश देने हेतु सक्षम नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2019 को सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कले...
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.06.26 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: